रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 636] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 18, 2017/आषाढ़ 27, 1939
No. 636] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 18, 2017/ASADHA 27, 1939

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2017

सा.का.नि. 890(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नागर विमानन मंत्रालय, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो में नागर विमानन सुरक्षा संपर्क कार्यालय (सीएएसएलओ) समन्वयक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नागर विमानन मंत्रालय, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो, नागर विमानन सुरक्षा संपर्क कार्यालय (सीएएसएलओ) समन्वयक, श्रेणी "ख' पद, भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर:-** पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि:–** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता:-** वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ;

परन्तु, यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति:- जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति:- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मेट्रिक्स में स्तर ।**	**चयन पद अथवा अचयन पद ।**	**सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा ।**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नागर विमानन सुरक्षा संपर्क कार्यालय (सीएएसएलओ) समन्वयक	20* (2017) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित , अननुसचिवीय।	स्तर-7 वेतन मैट्रिक्स में (न्यूनतम रु.44,900/- से अधिकतम रु.1,42,900/- तक)	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।

सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं ।	**सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।**	**भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।**	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा ।**
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	प्रतिनियुक्ति द्वारा, जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा (आईएसटीसी) भी है ।	**प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल या स्वायत्त संगठनों या संवैधानिक संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधीन ऐसे अधिकारी : **(क)** (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है ; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मेट्रिक्स के स्तर-6 (न्यूनतम रु.44,900/- से अधिकतम रु.1,42,900/-तक) में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो ;

				और **(ख)** (जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों -: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री; तथा (ii) किसी सशस्त्र बल संगठन या केन्द्रीय सरकार या राज्य पुलिस बल या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्वायत्त संगठनों के सुरक्षा विभाग में तीन वर्षों का अनुभव। **टिप्पण 1 :** प्रतिनियुक्ति, जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा (आईएसटीसी) भी है, की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस युक्त से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति, (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी शामिल है) की अवधि सामान्यत: तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्त (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी शामिल है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	**भर्ती करने में किन परिस्थियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(12)	**(13)**
लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. एवी-13029/001/2009-ए एस (खण्ड)]

उषा पाढी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th July, 2017

G.S.R. 890(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to the post of the Civil Aviation Security Liaison Office (CASLO) Coordinator in the Ministry of Civil Aviation, Bureau of Civil Aviation Security, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Ministry of Civil Aviation, Bureau of Civil Aviation Security, Civil Aviation Security Liaison Office (CASLO) Coordinator, Group 'B' Post, Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix- The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.- The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in column (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. - No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living;

or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Civil Aviation Security Liaison Office (CASLO) Coordinator.	20* (2017) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 7 (Minimum from Rs. 44,900/- to Maximum Rs. 1,42,400/-) in the pay matrix.	Not applicable.

Age limit for direct recruits.	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**	**Whether age and other educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.**
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation (including short term contract).

In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made.	If Departmental promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation (including short term contract) :- Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Central Armed Police Force or Autonomous Bodies or Statutory Organisations or Public Sector Undertakings or Universities or Recognized Research Institutions,- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five year service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 6 (Minimum from Rs. 35,400/- to Maximum Rs. 1,12,400/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the following educational qualification and experience:- (i) Bachelor Degree from a recognized University; and (ii) three years' experience of liaison work in an Armed Force Organisation or Central Government or State Police Force or Security Department of a Public Sector Undertaking or Autonomous Organisation. **Note 1:** Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2:** The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of the applications.	Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. AV-13029/001/2009-AS (Pt.)]

USHA PADHEE, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.07.19 15:34:01 +05'30'